



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

**कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर**

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (29/TRANS)/एफसीए./मुवसं/2023-24/3978  
निमित्त.

दिनांक :- 05-07-2023

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय- Creation of 33/11 KV kune to new grid sub station Jogania  
Mat. Propposal no. FP/RJ/TRANS/50545/2020  
संदर्भ :-आपका पत्रांक 5639 दिनांक 17.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक से आलोच्य प्रकरण में आप द्वारा चाही गई सूचना/स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ 0 एफ.सी.ए./उवसं/2023-24/4562 दिनांक 19.06.2023 से बिन्दुवार पूर्ति कर सूचना इस कार्यालय को भिजवाई गई है।

अतः उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ से प्राप्त वांछित सूचना इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 (29/TRANS)/एफसीए./मुवसं/2023-24/3979-80 दिनांक :- 5/7/2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1-उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ को उनके पत्रांक 4562 दिनांक 19.06.2023 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति न मिले तब तक वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैरव्यवसायिक कार्य न हो यह भी सुनिश्चित करें।
- 2- सहायक अभियंता, (प व स ) अ.वि.वि.नि.लि., बेगू, जिला चित्तौडगढ़।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

**Signature valid**

Digitally signed by Raj Kumar Singh  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.07.04 11:06:50 IST  
Reason: Approved  
D:/IA WORK/ R.T.I 2016 \_ : 1

RajKaj Ref No.: 4186054



**कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)**

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़ 312001; Ph&Fax :01472-241049; email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/4562

दिनांक : 19.6.2023

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर

**विषय :-** Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

**प्रसंग :-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 ( )2022/एफसीए/प्रमुवसं/5639 दिनांक 17.4.2023 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं। अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

| क्र. सं. | आक्षेप  | प्रत्युत्तर  |
|----------|---|--|
| 1        | प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाईन कंहा से कंहा को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।  |
| 2        | प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 4 में 33 के.वी. ए. 11 के.वी. का विवरण संलग्न किया गया है। जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाईन 33 के.वी. की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।  |
| 3        | रोजगार सृजन की सूचना सही नहीं भरी गयी है।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।  |
| 4        | वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ति हो रही है वह किस रूट पर बनी है एवं नवीन पारेषण लाईन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नहीं है।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।  |
| 5        | बार चार्ट में चैनरेज इत्यादि अंकित नहीं किये गये है।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से यह कार्यालय सहमत है।  |
| 6        | उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में दुगनी 13.08 है. वन भूमि पर वृक्षारोपण के स्थान पर 65 है. वन भूमि में वृक्षारोपण चिन्हित किया गया है। उक्त वृक्षारोपण ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में लिया गया है प्रस्तावित स्थल के नजदीक कम घनत्व वाले क्षेत्र है जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.0 से 0.4 घनत्व वाले क्षेत्रों में ही किया जावे एवं वनमण्डल में स्थित कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर वृक्षारोपण करें। अतः उप वन संरक्षक वृक्षारोपण के | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल भूमि 13.08 हैक्टेयर होती है। परन्तु भारत सरकार के पत्र एफ.नं. 5-2/ 2017 -एफसी दिनांक 28. 3.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डी.एफएल पर 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाना है। परन्तु उपलब्ध डीएफएल साईट |

27.6.23

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | चयन पर पुनर्विचार करें।  | अनुसार 200 पौधे प्रति हैक्टेयर पौधे ही लगाये जा सकते हैं। अतः कुल 65.32 हैक्टेयर डीएफएल प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत डीएफएल मौका अनुसार क्षेत्र वृक्ष घनत्व 0.2 है जो भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप है। |
| 7  | उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।                               | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।   |
| 8  | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के डीजीपीएस मेप कोरनर कोर्डिनेट्स नहीं है।  | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के डीजीपीएस मेप कोरनर कोर्डिनेट्स अंकित कर दिये गये हैं।   |
| 9  | उप वन संरक्षक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है प्रस्ताव में कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।                            | प्रस्ताव में पार्ट -II में प्रजातिवार विदोहन होने वाले वृक्षों का विवरण अंकित किया गया तथा प्रस्ताव में हार्ड प्रति में विवरण भिजवाया गया है।   |
| 10 | प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।   | प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि वनखण्ड मेनाल का हिस्सा है जिसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवं खसरा सूची संलग्न कर दी गई है।   |
| 11 | उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न की गयी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट 1 वर्ष 5 माह पुरानी है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जावें। | प्रस्ताव हेतु चयनित डीएफएल भारत सरकार के निर्देशों एवं पौधारोपण हेतु उपयुक्त होने के कारण नवीन डीएफएल की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्तावित डीएफएल की निरीक्षण रिपोर्ट सहमति के साथ प्रेषित है।           |


संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
  
(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/4563

दिनांक : 19.6.2023

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़



... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

| क्र.सं. | विवरण | दिनांक | प्रमाण | विवरण | दिनांक | प्रमाण |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 2       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 3       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 4       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 5       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 6       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 7       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 8       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 9       | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 10      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 11      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 12      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 13      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 14      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 15      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 16      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 17      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 18      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 19      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 20      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 21      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 22      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 23      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 24      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 25      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 26      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 27      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 28      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 29      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |
| 30      | ...   | ...    | ...    | ...   | ...    | ...    |

VIJAY SHANKAR PANDEY  
 D.C.F. CHITTORGARH

श्रीमान् प्रमुख का कर्तव्य अधिनियम,  
 प्रमाणित किया गया है - काठ भूमाल  
 नाम                       
 पता                       
 स्थिति                      जिला                      पन्ना नं०                     

| क्र.सं.    | दिनांक   | स्थिति | पता       | पन्ना नं. | जिला     | पन्ना नं. | दिनांक |
|------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1000       | 29/3     | मजरा   | कि. नं. 1 | 201/3     |          |           |        |
| 1001       | 31/3     | -11-   | -11-      | 211/2     |          |           |        |
| 1002       | 19/11/11 | -11-   | -11-      | 900/11    | प्रमाणित |           |        |
| 1003       | 2/11     | -11-   | -11-      | 221/1     |          |           |        |
| 1004       | 20/11    | -11-   | -11-      | 200/1     |          |           |        |
| 1005       | 6/2/11   | -11-   | -11-      | 200/11/2  |          |           |        |
| 2 नाम बदला |          |        |           | 200/11/3  |          |           |        |
| 1          | 1/2/11   | मजरा   | कि. नं. 1 | 920/11    |          |           |        |
| 2          | 1/2/11   | -11-   | -11-      | 930/11    |          |           |        |
| 3          | 2/11/11  | -11-   | -11-      | 600/11/2  |          |           |        |
| 232        | 2/11/11  | -11-   | -11-      | 9/1       |          |           |        |
| 234        | 9/11/11  | -11-   | -11-      | 21/3      |          |           |        |
| 235        | 9/11/11  | -11-   | -11-      | 11/3      |          |           |        |
| 236        | 2/2/11   | -11-   | -11-      | 1/1       |          |           |        |
| 237        | 2/11/11  | -11-   | -11-      | 211/1     |          |           |        |
| 238        | 2/11/11  | -11-   | -11-      | 211/1     |          |           |        |
| 239        | 2/11/11  | -11-   | -11-      | 211/1     |          |           |        |

VIDAL SHANKAR RANDEY  
 D.C.F. CHITTORGARH

012

संस्थान प्रशासन एवं अर्थोत्तर विभाग, 33952  
 राजस्थान सरकार - राज मेवाड़  
 आ. सं. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

| क्र.सं. | विवरण | प्रमाण | प्रमाण | प्रमाण | प्रमाण | प्रमाण |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 2       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 3       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 4       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 5       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 6       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 7       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 8       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 9       | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 10      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 11      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 12      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 13      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 14      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 15      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 16      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 17      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 18      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 19      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 20      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 21      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 22      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 23      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 24      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 25      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 26      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 27      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 28      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 29      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 30      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 31      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 32      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 33      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 34      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 35      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 36      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 37      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 38      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 39      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 40      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 41      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 42      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 43      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 44      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 45      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 46      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 47      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 48      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 49      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 50      | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |


रविवर नरम 85  
 भा. सं. 3-44-2-40

| क्र.सं. | विवरण | प्रमाण | प्रमाण | प्रमाण  |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| (1)     | ...   | ...    | ...    | 2240 64 |
| (2)     | ...   | ...    | ...    | 182 42  |
| (3)     | ...   | ...    | ...    | 2100 38 |
|         | ...   | ...    | ...    | 5023 44 |
|         | ...   | ...    | ...    | 5023 44 |

VIJAY SHANKAR PANDEY  
 D.C.F. CHITTORGARH

MAP SHOWING GEOREFERENCED SURVEY OF INDIA TOPOSHEET OF IDENTIFIED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND (DFL)  
 Project Name : Creation of 33/11 KV Line to New Gnd Sub Station Jogniya Mata , Tehsil- Begun , Chittorgarh  
 Proposal No. :FP/RJ/TRANS/50545/2020

45 P 5



| SYMBOL | DESCRIPTION               |
|--------|---------------------------|
| 1      | 33/11 KV LINE             |
| 2      | 33/11 KV SUB STATION      |
| 3      | 33/11 KV TOWER            |
| 4      | 33/11 KV CROSS ARM        |
| 5      | 33/11 KV INSULATOR        |
| 6      | 33/11 KV WIRE             |
| 7      | 33/11 KV GROUND WIRE      |
| 8      | 33/11 KV PILE             |
| 9      | 33/11 KV FOUNDATION       |
| 10     | 33/11 KV TOWER FOUNDATION |

VIJAY SHANKAR PANDEY  
 D.C.F. CHITTORGARH



**NAME OF PROJECT:-** Creation of 33/11 KV line to New grid sub station Jogniya Mata, Tehsil- Begun, District - Chittorgarh (Raj.)

**Proposal No :** FP/RJ/TRANS/50545/2020 Aras of Forest Land : **6.54** Ha.

**SITE INSPECTION REPORT OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST,  
CHITTORGARH FOR THE FOREST LAND TO BE DIVERTED UNDER FCA**

The Proposal has been received by this office for diversion (under FCA 1980) of 6.54 ha. Forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Creation of 33/11 KV line to New grid sub station Jogniya Mata, Tehsil- Begun, District - Chittorgarh.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done on 3.7.2023 along with forest staff and JEN, RVPN, Begun.

On inspection of the site, it was found that the land required by the user agency is forest land measuring 6.54 ha. It is lying in the forest block Menal (PF).

The requirement of forest land as proposed by the user agency in part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. All possible alternate route has been explored and no other feasible route except this.

There is no any rare/endangered/ unique species of flora and fauna found in the area.

There is no any protected archacological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area.

It has been found that the user agency has NOT violated the forest (Conservation) Act, 1980 provision till date and no work has been started without Prior permission.

Since the project Creation of 33/11 KV line to New grid sub station Jogniya Mata, Tehsil- Begun, District - Chittorgarh. is important for providing electricity in the area, hence in view of the importance of this TL, project is recommended for acceptance.

Place:- Chittorgarh

Date:- 3.7.2023

(Vijay Shankar Pandey)  
Dy. CONSERVATOR OF FOREST,  
Chittorgarh

## कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि.बेगूँ

क्रमांक : सहा.अभि./ अ.वि.वि.नि.लि./बेगूँ/2023 -24/

134

दिनांक : 24/4/23

निमित्त,

उप वन संरक्षक महोदय  
चित्तौडगढ

**विषय :-** Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020  
**संदर्भ:-** श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक 2844 दिनांक 21.04.2023 क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं।  
उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

| क्र.सं. | आक्षेप   | प्रत्युत्तर  |
|---------|--|--|
| 1       | प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाईन कहां से कहां को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।   | नवीन ग्रिड सबस्टेशन हेतु पारेषण 33 के. वी. एवं 11 केवी लाइन डाली जानी है यह लाईन मेनाल से जोगनिया माता प्रस्तावित है।  |
| 2       | प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या 4 में 33 के.वी. एवं 11 के.वी. का विवरण संलग्न किया गया है। जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाईन 33 के.वी. की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या 4 में मेनाल से जोगनिया माता 33 के.वी. लाईन डाली जानी है पुनः 33/11 केवी जी.एस.एस से 11 केवी फीडर मेनाल हेतु नई लाईन प्रस्तावित है।  |
| 3       | रोजगार सृजन की सूचना सही नहीं भरी गयी है।  | रोजगार सृजन की सूचना का प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।  |
| 4       | वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ति हो रही है वह किस रूट पर बनी है एवं नवीन पारेषण लाईन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नहीं है।   | वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ति हो रही है वह रायति ग्रिड से पालका होते हुये जोगनिया माता हेतु विद्युत आपूर्ति हो रही है। व नवीन पारेषण लाईन डाले जाने के उपरांत पुरानी लाईन को वैकल्पिक तौर पर व नवीन लाईन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपयोग किया जा सकेगा। |
| 5       | बार चार्ट में चेनऐज इत्यादि अंकित नहीं किये गये हैं।   | बार चार्ट इस पत्र के साथ संलग्न है व बार चार्ट में चेनऐज CH-00, CH-920, CH-5280, CH-6850 अंकित है।   |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता (पवस)  
अ.वि.वि.नि.लि.बेगूँ

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि.चित्तौडगढ ।
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि.बेगूँ ।

सहायक अभियन्ता (पवस)  
अ.वि.वि.नि.लि.बेगूँ

## EMPLOYMENT DETAIL

प्रस्ताव का नाम : New Creation of 33/11 KV KV Line Jogniya mata

यूजर एजेन्सी का नाम : Asistant Engineer (O&M) AVVNL Begun

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/TRANS/54545 /2020 dt. 06.10.2020


प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 7.80 ha. (Chittorgarh)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Chittorgarh distt. & Chittorgarh Division

I, Hawa Singh Gujar Assistant Engineer (O&M) AVVNL. Begun the user agency, hereby undertaking for employment generation 08 nos. employment generate this new creation of 33/11 KV GSS Jogniya mata. The employment generated 04 regulars employees & 04 contract based employee is required for operation of this GSS

Place :- Begun

Date :- 05-06-2021

  
Signature of User Agency  
Assistant Engineer (O&M)  
Office Seal  
A.V.V.N.L. - Begun  
Distt.- Chittorgarh (Raj.)

Counter signed by :-

Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_

Bar Chart OF Creation of 33/11 KV  
Grid sub station Jogniya mata

PROPOSAL NO. FP/RJ/TRANS/50545 / 2020 DATED 06.10.2020



ASSISTANT ENGINEER (O&M)  
AVVNL LTD. BEGUN